शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 2147 /नौ–2–2011–3आडिट/2008

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

3. निदेशक,
   स्थानीय निकाय,
   उ.प्र. लखनऊ।

4. समस्त नगर आयुक्त,
   नगर निगम, उ.प्र.।

नगर विकास अनुभाग–2 लखनऊ : : दिनांक : 10 जून, 2011

विषयः स्थानीय निकायों में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर निर्माण कार्य सुनिश्चित कराया जाना।

महोदय,

नगर पालिका परिषद सम्भल मुरादाबाद में सी.सी.रोड़ के निर्माण में ठेकेदार को अधिक भुगतान किये जाने के प्रकरण की आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद से करायी गयी जांच में शासन के संज्ञान में यह आया कि सी.सी.रोड़ के लिये लोक निर्माण विभाग का सेड्यूल उपलब्ध न होने के कारण अवर अभियन्ता द्वारा स्वंय विश्लेषण करके स्वतः रेट निर्धारित किया गया। उक्त रेट को सक्षम अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग से परीक्षण कराया जाना आवश्यक था, जो नही कराया गया।

2. निर्माण कार्यों का सेड्यूल ऑफ रेट लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है। उक्त रेट ही सभी कार्यों पर मान्य होता है। जहॉ लोक निर्माण विभाग का सेड्यूल ऑफ रेट उपलब्ध नही होता है, वहॉ दर का निर्धारण कर सक्षम अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग से सत्यापन कराया जाता है। लोक निर्माण विभाग का सेड्यूल उपलब्ध न होने की स्थिति में रेट का लोक

निर्माण विभाग के सक्षम अधिकारी, से सत्यापन कराये बिना भुगतान की कार्यवाही किया जाना एक ओर जहॉ वित्तीय अनियमितता की ओर इंगित करता है वहीं दूसरी ओर स्थानीय निकायों के आर्थिक हितों के विपरीत है।

3. उपर्युक्त समस्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त स्थानीय निकायों में निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित रेट पर ही सम्पादित कराया जाये। जहॉ लोक निर्माण विभाग का सेड्यूल ऑफ रेट उपलब्ध न हो वहॉ दर का लोक निर्माण विभाग के सक्षम अधिकारी, से सत्यापन कराये जाने के पश्चात् ही कार्य सम्पन्न कराया जाये।

4. कृपया उक्त निर्देशों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।